



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08072022-237199
CG-DL-E-08072022-237199

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2993]
No. 2993]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 8, 2022/आषाढ़ 17, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, JULY 8, 2022/ASHADHA 17, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जुलाई, 2022

(आयकर)

का.आ. 3148(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 118 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, का.आ. 2817(अ) दिनांक 3 नवंबर, 2014 के माध्यम से भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय सं.60/2014 की अधिसूचना में, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में,-

(I) खंड (क) और (ख) में, “सारणी” शब्द के स्थान पर “अनुसूची” शब्द को क्रमशः प्रस्तुत किया जाएगा।

(II) खंड(ग) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(ग) निम्न सारणी के कॉलम (4) में यथानिर्दिष्ट आयकर आयुक्त उक्त अनुसूची के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट मुख्य आयकर आयुक्त के अधिनस्थ होंगे।”

(III) अनुसूची में, क्रम सं. 1 में, कॉलम संख्या 3 के तहत, निम्नलिखित को अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“मुख्य आयकर आयुक्त (अन्तर्राष्ट्रीय कराधान), दिल्ली”।

2. यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से लागू हुई मानी जाएगी।

[अधिसूचना सं. 82/2022/फा. सं. 187/3/2020-आईटीए-1]

सौरभ जैन, अवर सचिव

नोट : का.आ. 2817(अ) दिनांक 3 नवंबर, 2014 के माध्यम से मुख्य अधिसूचना सं. 60/2014, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, जिसमें अब तक संशोधन नहीं किया गया है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th July, 2022

(INCOME-TAX)

S.O. 3148(E).—In exercise of the powers conferred by section 118 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following amendments in the Notification of the Government of India, Ministry of Finance No. 60/2014, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii) *vide* number S.O. 2817(E) dated the 3rd November, 2014, namely:-

In the said Notification,-

(i) in clauses (a) and (b), for the word “Table”, the word “Schedule” shall respectively be substituted.

(ii) for clause (c), the following clause shall be substituted, namely:-

“(c) the Commissioner of Income-tax as specified in column (4) of the Schedule below shall be subordinate to the Chief Commissioner of Income-tax specified in column (3) of the said Schedule.”

(iii) in the Schedule, in Serial Number 1, under column number (3), the following shall be inserted, namely:-

“Chief Commissioner of Income-tax (International Taxation), Delhi”.

2. This notification shall come into force from the date of publication in the Official Gazette.

[Notification No. 82/2022/F. No. 187/3/2020-ITA-I]

SOURABH JAIN, Under Secy.

Note : The Principal Notification No. 60/2014 was published in the Gazette of India, Extraordinary Part-II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 2817(E) dated the 3rd November, 2014, which has not been amended so far.